



कार्यालय आदेश

सभी परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्यों/केन्द्राध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के प्रत्येक पाली में विश्वविद्यालय के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से उनके परीक्षा केन्द्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्र अपने केंद्र के सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जुड़वाना सुनिश्चित करें।

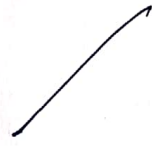
माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि यदि कोई परीक्षा केंद्र परीक्षा के किसी भी पाली में विश्वविद्यालय के सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया तो यह माना जायेगा कि उक्त केंद्र शुचितापूर्ण परीक्षा कराने में असमर्थ है और उस परीक्षा केंद्र को वर्तमान परीक्षा केंद्र से हटाते हुए आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र न बनाने पर विचार किया जायेगा। इसके साथ-साथ उस महाविद्यालय पर आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

साथ ही ऐसे परीक्षा केंद्र जिन्होंने अपने केन्द्रों पर सीपी प्लस अथवा डीएमएसएस (दहुआ) कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों के डीवीआर/कैमरे लगवाए हैं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आगामी तीन कार्य दिवसों के अन्दर सभी परीक्षा केंद्र अपने केन्द्रों पर सीपी प्लस अथवा डीएमएसएस (दहुआ) कंपनी के कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें और उनका आईडी और पासवर्ड विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दें। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित परीक्षा केंद्र मानक के अनुसार परीक्षा कराने में असमर्थ रहा है और उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।


(आनन्द कुमार मौर्य)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव कुलपति को, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. गार्ड फाइल।


परीक्षा नियंत्रक